न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 52/2019

निर्णय दिनांक :–02.07.19

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. बाबूलाल पुत्र श्री छीतर जाति महाजन उम्र बालिग निवासी सतवाड़ा (बालून्दा) तहसील दूनी जिला (टोंक)
2. विमल कुमार पुत्र श्री छीतर जाति महाजन उम्र बालिग निवासी सतवाड़ा (बालून्दा) तहसील दूनी हाल निवासी सी.आई.एस.एफ लिंक रोड़ देवली तहसील देवली जिला (टोंक.)
3. राजेन्द्र कुमार श्री छीतर जाति महाजन उम्र बालिग निवासी सतवाड़ा (बालून्दा) तहसील दूनी जिला (टोंक)

–प्रार्थीगण –

बनाम

1. सुनिता पुत्री माता स्व. संतोक पत्नी विनय कुमार जाति महाजन उम्र बालिग निवासी नगरफोर्ट हाल निवासी शंकरलाल जी का मकान, शास्त्री नगर टोंक जिला टोक (राज.)
2. उपपंजीयक नगरफोर्ट तहसील दूनी

–प्रतिपक्षीगण –

उपस्थिति :–
श्री प्रकाश चन्द जैन
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता अप्रार्थीया संख्या 1

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण नं0 1 की संयुक्त खातेदारी व प्रार्थीगण की कब्जे–काश्त की कृषि भूमि हाल खाता संख्या 150 ख0नं0 42 रकबा 1.88 है0, ख0नं0 260 रकबा 3. 91 है0, ख0नं0 526 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 527 रकबा 0.64 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 6.51 है0 वाके तनग्राम सतवाडा पटवार हल्का बालून्दा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्राथीगण के एक बहिन संतोक पुत्री स्व0 छीतर थी। जो विधवा थी। विधवा होने के बाद से ही संतोक प्रार्थीगण के पास रही और प्रार्थीगण ही संतोक की सेवा–सुश्रुषा, देखभाल भरण–पोषण करते रहे है तथा संतोक की मृत्यु के बाद होने वाला समस्त खर्चा भी प्रार्थीगण ने ही वहन किया था। संतोक ने अपने जीवनकाल में ही अपने भाईयों अर्थात प्रार्थीगण की सेवा–सुश्रुषा से खुश होकर प्रार्थना पत्र के पेरा नं0 2 में वर्णित भूमि में अपने 1/4 हिस्से की भूमि को जरिये जबानी वसीयत प्रार्थीगण को देकर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तथा अपने समस्त मालिकाना हक व अधिकार प्रार्थीगण को दे दिये थे। तभी से प्रार्थीगण सम्पूर्ण भूमि पर काबिज होकर

उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। अप्रार्थी नं0 1 जो कि प्रार्थीगण की स्वर्गीय बहिन संतोक की पुत्री है, ने गलत तथ्य वर्णित करते हुए संतोक के हिस्से की भूमि का नामान्तकरण अपने नाम राजस्व रिकार्ड में खुलवा लिया। इसी नामान्तकरण की आड में अप्रार्थी नं0 1 अन्य के बहकावे में आकर संयुक्त भूमि को नाजायज रूप से बेचान/हस्तान्तरित कर प्रार्थीगण को उनके जायज हक व अधिकारों से वंचित करना चाहती है। इसी कारण आये दिन अप्रार्थी नं0 1 प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करती है तथा जबरन प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहती है जिसका कि अप्रार्थी नं0 1 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

इसी तरह की समान आराजियात व समान पक्षकारान का एक अन्य वाद संख्या 58/2019 जो कि बंटवारा आराजियात व स्थायी निषेधाज्ञा का है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 162/2019 अधिवक्ता श्री अशोक कुमार गुप्ता ने पेश किया । अधिवक्ता अशोक द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त आराजियात में वादीया का 1/4 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण 1 ता 3 का 1/4–1/4 हिस्सा है और पक्षकारान मौके पर अपने हिस्सेनुसार काबिज है। वादीया और अप्रार्थीगण के बीच आये दिन लड़ाई–झगड़ा होता है, अप्रार्थीगण 1 ता 3 वादीया को अकेली महिला समझकर वादीया के हिस्से व कब्जे क भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहते है और वादीया द्वारा लगाई गई डोल को तोड़कर नाजायज कब्जा करना चाहते है तथा हमेशा लगान को लेकर विवाद होता रहता है। इसलिए वादीया के लिए यह आवश्यक हो गया है कि है कि वह अपने हिस्से की आराजीयात का तकासमा करवाकर अलग से राजस्व रिकॉर्ड में अपना हिस्सा दर्ज करवाने के लिए यह दावा पेश किया है।

दोनो वाद 52/2019 जो कि स्थायी निषेधाज्ञा का है व वाद संख्या 58/2019 जो कि बंटवारा आराजियात व स्थायी निषेधाज्ञा का है तथा दोनो प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 132/2019 व 162/2019 का अवलोकन करने पाया कि दोनो वादो में समान पक्षकार व समान आराजी पर विवाद है। अतः दोनो प्रार्थना इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि दोनो वाद 52/2019 व 58/2019 तथा दोनो प्रार्थना पत्र संख्या 132/2019 व 162/2019 को समेकित कर एक साथ सुनवाई करना उचित होगा।

दोनो पत्रावलियों में अप्रार्थीगण की तलबी जारी हुई।

उभयपक्ष अधिवक्ता से बहस सुनी।

उभयपक्षर अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने–अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया।

अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द जैन की बहस प्रार्थना पत्र के अवलोकनानुसार प्रार्थीगण के एक बहिन संतोक पुत्री स्व0 छीतर थी जो विधवा थी। विधवा होने के बाद से ही संतोक प्रार्थीगण के पास ही रहती थी और उसका समस्त खर्चा प्रार्थीगण ने उठाया जिससे प्रसन्न होकर संतोक ने अपने जीवनकाल में ही प्रार्थना पत्र के पेरा नं0 2 में वर्णित भूमि में अपने 1/4 हिस्से की भूमि को जरिये जबानी वसीयत प्रार्थीगण को देकर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तथा अपने समस्त मालिकाना हक व अधिकार प्रार्थीगण को दे दिये थे। तभी से प्रार्थीगण सम्पूर्ण भूमि पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है।

अधिवक्ता श्री अशोक कुमार गुप्ता की बहस व प्रार्थना पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण 1 ता 3 वादीया को अकेली महिला समझकर वादिया के हिस्से की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहते है तथा दोनो पक्षकारान के मध्य हिस्से व लगान को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसके कारण उक्त भूमि में से अपना हिस्सा अलग करवाना चाहती है।

उभयपक्ष अधिवक्तागण से बहस सुनी। पत्रावलियो का अवलोकन व बहस पर मनन किया। अतः पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण नं0 1 की संयुक्त खातेदारी व प्रार्थीगण की कब्जे–काश्त की कृषि भूमि हाल खाता संख्या 150 ख0नं0 42 रकबा 1.88 है0, ख0नं0 260 रकबा 3.91 है0, ख0नं0 526 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 527 रकबा 0.64 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 6.51 है0 वाके तनग्राम सतवाडा पटवार हल्का बालून्दा तहसील दूनी के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये वाद पर्यन्त बनाये रखे तथा दोनो पक्षकारान एक दुसरे के हिस्से में कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में मजामहत नहीं करे। समान पक्षकार व समान आराजियात के वाद व प्रार्थना पत्र होने से दोनो वाद 52/2019 व 58/2019 तथा दोनो प्रार्थना पत्र संख्या 132/2019 व 162/2019 को समेकित किया जाता है। प्रार्थना पत्र संख्या 132/2019 में जो भी निर्णय/आदेश होगा वह प्रार्थना पत्र 162/2019 पर भी लागू होगा। इसी तरह वाद संख्या 52/2019 ही न्यायालय में चलायमान रहेगा और जो भी निर्णय इस वाद में होगा वह वादी संख्या 58/2019 पर भी प्रभावी होगा। प्रार्थना पत्र संख्या 132/2019 व 162/2019 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद संख्या 58/2019 तथा दोनो प्रार्थना पत्र संख्या 132/2019 व 162/2019, वाद 52/2019 के पृष्ठ में संलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 08.07.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली